Form No. III
फर्द–अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ **बनाम** **अमानुल्ला**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 446 दण्ड प्रकिया संहिता (जा0फौज0)**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र (रे.वि.)**	नं0 **063**	सन् **2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.08.2023	पत्रावली सिगहे से पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/सरिश्ता/एफ/1–(02)2019/509 दिनांक 03.08.2023 से न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़, न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर रावतभाटा में क्षेत्राधिकार विभाजन किया है। हस्तगत प्रकरण का मूल प्रकरण संख्या 001/2015 (इस्तगासा) अनवानी सरकार बनाम अमानुल्ला अन्तर्गत धारा 3 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्राप्त होने से प्रकरण इस न्यायालय से न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को अंतरित किया जा चुका है। मूल प्रकरण के अंतरित किये जाने से इस प्रकरण को भी न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को अंतरित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विधि अनुसार सुनवाई की जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। पत्रावली न्यायालय हाजा द्वारा नियत आगामी पेशी दिनांक से पूर्व भिजवाई जावें। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक **27.09.2023** को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश हों। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official -S/D- (पीयुष समारिया) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ 04.08.2023	